भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

केंद्रीय मनोरोग-विज्ञान संस्थान, रांची में कनिष्ठ मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता के पद हेतु मसौदा भर्ती नियमों के संबंध में सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी.14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुपालन में केंद्रीय मनोरोगविज्ञान संस्थान, रांची में कनिष्ठ मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता के पद हेतु मसौदा भर्ती नियम संलग्न हैं।

मसौदा भर्ती नियमों के संबंध में कोई आपत्ति/टिप्पणी अथवा सुझाव देने के इच्छुक पणधारक लिखित रूप में अपने सुझाव मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली- 110108 को अथवा ई-मेल पता: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

<u>अनुलग्नक</u>

क्र.सं.	वर्गीकरण	मौजूद भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावितमसौदा भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	औचित्य
1.	पद का नाम	मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता (कनिष्ठ)	कनिष्ठ मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता	सीआईपी, रांची ने सूचित किया है कि सुविधा के लिए इस पद का नाम बदलकर कनिष्ठ मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता कर दिया गया है। चूंकि इन पदों को आमतौर पर कनिष्ठ मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से संबोधित किया जाता है, फिर भी इन पदों के मौजूदा नाम को बनाए रखने में सीआईपी, रांची को कोई आपत्ति नहीं है।
2.	पदों की संख्या	1	1* (2018) (कार्य के भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	कोई परिवर्तन नहीं
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' पद अराजपत्रित,अननुसचिवीय	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	का.प्र.वि. के दिनांक 17.04.2009 के का.ज्ञा.सं. 11012/7/2008-स्था.(क) के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रेड वेतन रु. 4200 के पद को समूह ख में वर्गीकृत किया गया है।
4.	वेतनमान	1. दूसरा केन्द्रीय वेतन आयोग - 210-10-290-15-320-ईबी-15-425 2. तीसरा केन्द्रीय वेतन आयोग - 455-15-560-ईबी-20-700 3. चौथा केन्द्रीय वेतन आयोग -1400-	लेवल 6 (35400 रु. - 112400 रु.)	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार

		40-1800-ईबी-50-2300 4. पांचवा केन्द्रीय वेतन आयोग - एस-10-(5500-175-9000) 5. छठा केन्द्रीय वेतन आयोग - पीबी-2, जीपी : 4200 रु. 6. सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग -वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6 (35400 रु.)		
5.	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	का.प्र.वि. के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु-सीमा में छूट)	30 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी तथा वह अंतिम तिथि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नगालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा पांगी उप मंडल एवं संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी।	का.प्र.वि. के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/13/2013-स्था.(आरआर) के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आयु-सीमा अवधारित की गई है। यदि संबंधित पद वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 में आता है तो सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य : (i) चिकित्सा तथा मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य में विशेषज्ञता के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से सामाजिक कार्य में	अनिवार्य : (i) चिकित्सा तथा मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य में विशेषज्ञता के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर (एमएसडब्ल्यू) अथवा सामाजिक कार्य में एमए अथवा समकक्ष। (ii) क्षेत्र में 3 वर्ष का प्रयोगात्मक	**सीआईपी, रांची द्वारा यथा प्रस्तावित।**

		मास्टर (एमएस डब्ल्यू) अथवा सामाजिक कार्य में एमए अथवा समकक्ष। (ii) क्षेत्र में लगभग 3 वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव (अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के विवेक पर योग्यताओं में छूट अन्यथा पूर्णत: योग्य)	अनुभव (अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के विवेक पर योग्यताओं में छूट अन्यथा पूर्णत: योग्य)	
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष	2 वर्ष	कोई परिवर्तन नहीं
10.	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100% सीधी भर्ती द्वारा	सीधी भर्ती	कोई परिवर्तन नहीं
11	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जा सके।	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	लागू नहीं	विभागीय स्थायीकरण समिति : 1. निदेशक (सीआईपी) - अध्यक्ष 2. विशेषज्ञ श्रेणी-I का अधिकारी - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य	स्थायीकरण के लिए डीसीसी आवश्यक है
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के तहत यथा	लागू नहीं	यह अराजपत्रित पद है, अत: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना

		अपेक्षित।		अपेक्षित नहीं है।